भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4272

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है ।

चार्जिंग हेतु अवसंरचना

4272. श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में विद्युत वाहनों की चार्जिंग के लिए अवसंरचना के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने हेतु लोगों के मध्य इलेक्ट्रिक वाहनों को यथासंभव बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): जी हां। इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना को सुकर बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

(i) **इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं:** विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के संदर्भ में 13.04.2018 को इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना पर स्पष्टीकरण जारी किया है कि चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) **इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना- संशोधित दिशानिर्देश एवं मानक:** भारत सरकार ने, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों और पणधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना शुरू करने के लिए दिनांक 14.12.2018 को "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना-दिशानिर्देश एवं मानक" जारी किए जिन्हें बाद में 01.10.2019 को दोबारा संशोधित किया गया।

(iii) **ग्रिड कनेक्टिविटी तथा सुरक्षा विनियम:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सीईए के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन जारी किए हैं;

1. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित विद्युत उत्पादन संसाधनों के संयोजनों के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2019।
2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधी उपाय) संशोधन विनियम, 2019।

(iv) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना में सरलीकरण लाने के लिए भवन उपनियम तथा शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण में निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:

(क) इलैक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग अवसंरचना के लिए मॉडल निर्माण उप-नियम (एमबीबीएल-2016) में संशोधन।

(ख) इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के लिए शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण एवं कार्यान्वयन दिशानिर्देश (यूआरडीपीएफआई-2014) में संशोधन।

(v) ईईएसएल और एनटीपीसी ने विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) स्थापित किए हैं। ईईएसएल ने देशभर में विभिन्न शहरों में 68 पीसीएस स्थापित किए हैं जबकि एनटीपीसी ने 72 पीसीएस स्थापित किए हैं।

(ग): सरकार इलैक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अंगीकृत करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दे रही है। कुछ प्रोत्साहन निम्नानुसार है:

(i) भारी उद्योग विभाग (डीएचआई), भारत सरकार ने नेशनल इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (एनईएमएमपी) 2020 शुरू किया है, जो देश में इलैक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अंगीकरण और उनके निर्माण के लिए विजन एवं रोड़मैप प्रदान करता है। यह प्लान राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा बढ़ाने, सस्ते एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध कराने और भारतीय ऑटोमेटिव उद्योग को वैश्विक निर्माण नेतृत्व हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए निरूपित किया गया है।

(ii) फास्टर एडोप्सन एंड मैन्यूफेक्चरिंग ऑफ (हाईब्रिड एंड) इलैक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम-इंडिया) के चरण-। के अंतर्गत, भारी उद्योग विभाग ने बैंगलुरू, चंडीगढ़, जयपुर जैसे शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगभग 43 करोड़ रुपये से 500 चार्जिंग स्टेशन/अवसंरचनाएं संस्वीकृत की हैं।

(iii) फेम-इंडिया स्कीम का चरण-।। सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण की सहायता करने पर संकेंद्रित है और इसका उद्देश्य प्रोत्साहनों के माध्यम से लगभग 7,000 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55,000 ई-चारपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों की सहायता करना है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच उभर रही चिंता को को देखते हुए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण को सहयोग भी दिया जाएगा। स्कीम में वर्ष 2019-22 के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों हेतु चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। फेम-इंडिया स्कीम के चरण-।। के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग ने अब तक 24 राज्यों के 62 शहरों में (लगभग) 500 करोड़ रुपये की राशि से 2,636 ईवी चार्जिंग स्टेशन संस्वीकृत किए हैं।

(iv) इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपाय:

- ✓ इलैक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
- ✓ इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए ऋण पर देय ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की आयकर छूट।
- ✓ इलैक्ट्रिक वाहनों में अनन्य रूप से उपयोग किए गए पुर्जों (ई-ड्राइव असेम्बली, ऑन-बोर्ड चार्जर, ई-कम्प्रेशर और चार्जिंग गन) पर सीमा शुल्क में छूट।

****